देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या-22 /2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःअगस्त 25,2022

विषयः **प्रदेश में अवैध मादक पदार्थो, अवैध शराब एवं जहरीली शराब के दुर्व्यसन, कारोबार, संचय, निष्कर्षण व परिसंचरण/तस्करी की घटनाओं को रोकने एवं संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश।**

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रदेश में मादक पदार्थ, अवैध/जहरीली शराब के दुर्व्यसन, कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं अर्न्तप्रान्तीय सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब, मादक पदार्थ की तस्करी की अनेक घटनायें विगत में घटित हुयी है। इस प्रकार की घटनाओं से जनपद की पुलिस प्रणाली तथा गश्त-चेकिंग पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके कारण कभी-कभी जनहानि तथा कानून-व्यवस्था की गम्भीर स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इससे न केवल सरकारी राजस्व की क्षति होती है, वरन् समाज के अनेक निर्दोष युवा नशे की लत के गम्भीर शिकार भी बन जाते है तथा लोगो का स्थानीय पुलिस से विश्वास भी कम हो जाता है। अवैध शराब, मादक पदार्थ की तस्करी, दुर्व्यसन व कारोबार को रोकने हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय के स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जनपदों में उसका प्रभावी ढंग से अनुपालन नही किया जा रहा है।

डीजी-परिपत्र संख्या-17/2022, दिनांक 01.07.2022
डीजी-परिपत्र संख्या-19/2021, दिनांक 05.06.2021
डीजी-परिपत्र संख्या-42/2020, दिनांक 29.11.2020
संख्या-डीजी-आठ-80(11)2021, दिनांक 16.01.2022
संख्या-डीजी-आठ-80(11)2021, दिनाक 16.01.2022
संख्या-डीजी-आठ-80(11)2021, दिनाकं 08.12.2021

मादक पदार्थो के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा 'एण्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया है। एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (ANTF) को मादक पदार्थो के कारोबार में लिप्त अपराधियों, माफियाओं और गिरोहों के विरूद्ध कार्यवाही में तलाशी, बरामदगी, गिरफ्तारी तथा विवेचना की शक्तियाँ प्रदत्त होगी। समस्त जोन/रेंज, कमिश्नरेट तथा जनपद स्तर पर उक्त टॉस्क फोर्स के साथ उत्कृष्ट समन्वय स्थापित कर नशे के कारोबार के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जायेगी।

मादक पदार्थो, अवैध शराब के दुर्व्यसन, कारोबार एवं अर्न्तराष्ट्रीय तथा अर्न्तप्रान्तीय सीमा से मादक पदार्थ/अवैध शराब की तस्करी रोकने तथा इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रदेश स्तर पर नशे के विरूद्ध एक वृहद अभियान चलाया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर तत्परतापूर्वक अनुपालन अपेक्षित है:-

- मादक पदार्थ के अवैध कारोबारियों पर अभियान में विभिन्न राज्य/केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ उत्कृष्ट समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। विभिन्न एजेन्सियों यथा-केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, क्षेत्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सीमा शुल्क कार्यालय, एसएसबी(SSB), आसूचना ब्यूरो, उ0प्र0 आबकारी विभाग, औषधि नियंत्रण, स्पेशल टास्क फोर्स(एसटीएफ), ए0टी0एस0 तथा सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय तथा उपयोगी सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त गैंग के सम्बन्ध में ठोस अभिसूचना संकलित करते हुए गैंगों का समूल उन्मूलन किया जाये।

- समस्त जनपदों में ऐसे संवेदनशील स्थान, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, अवैध मदिरा के अड्डे, पान-सिगरेट की दुकान जहॉ मादक पदार्थ तथा अवैध शराब का कारोबार, बिक्री व उपयोग होता है, को चिहिन्त किया जाये। ऐसे चिन्हित स्थान पर छद्म वेश में सुरागरस पुलिसकर्मियों की Decoy लगाकर प्रभावी अभिसूचना संकलन कर नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जाये।
- तस्करी की उक्त घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों से तस्करी में प्रयुक्त मार्गों की विधिवत् जानकारी कर ली जाये। प्रदेश के समस्त जनपदों में मादक पदार्थ/अवैध शराब की तस्करी में प्रयुक्त होने वाले मार्ग, उस मार्ग के थाने, चौकी, पिकेट तथा बैरियर ड्यिूटी को चिन्हित कर लिया जाये। प्रदेश के समस्त जनपद, रेंज तथा जोन स्तर पर तस्करी रूट तथा हॉटस्पाट चिन्हित कर लिया जाये। उस चिन्हित रूट पर पड़ने वाले समस्त थानों, चौकी, पिकेट, बैरियर तथा यूपी-112 के वाहनों की समुचित ब्रीफ्रिंग की जाये जिससे तस्कर किसी जनपद की सीमा पार न कर सके। इस कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता परिलिक्षित होने पर उत्तरदायी कर्मियों को दंडित किया जाये।
- अवैध शराब, मादक पदार्थ की तस्करी की घटनायें दूसरे प्रान्तो से उत्तर प्रदेश में, बाहर के प्रदेशों से उत्तर प्रदेश को मार्ग प्रयुक्त करते हुए दूसरे प्रदेशों को होती है। प्रदेश के किसी भी जनपद से होकर तस्करी की उक्त घटनाये न होने पाये इस हेतु समस्त जनपदों के पुलिस तंत्र को सर्तक एवं प्रभावी कार्यवाही करना होगा। प्रत्येक तस्करी की घटना मे बरामद अवैध शराब, मादक पदार्थ के श्रोत तथा कैरियर के मार्ग की जानकारी अवश्य की जाये।
- अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर/नेपाल सीमा पर कई स्थानों पर बार्डर खुला हुआ है। यहॉ चेकिंग एवं तस्करों को रोकने हेतु समुचित पुलिस प्रबन्ध नही रहता है। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के इस तरह के खुले स्थानों को चिन्हित कर उसे सूचीबद्ध किया जाये। तस्करी रोकने हेतु इस प्रकार के खुले बार्डर पर योजनाबद्ध व्यवस्थापन किया जाये।
- सीमा के खुले स्थानों की भौगोलिक विशिष्टताओं यथा नदी, जंगल, खेत, पगडंडी रास्ते आदि के सन्दर्भ में चेकिंग एवं पुलिस प्रबन्ध योजना तैयार किया जाये। जनपद की भौगोलिक सामाजिक तथा आपराधिक परिस्थितियों के आधार पर ठोस कार्यवाही की जाये।
- अवैध अपमिश्रित शराब, रेक्टिफाइड स्प्रिट, शराब बनाने में प्रयुक्त केमिकल तथा मादक पदार्थ की तस्करी व परिसंचरण पर पूर्ण रोक लगाने हेतु हाटस्पॉट चिन्हित कर पर्याप्त संख्या मे चेकपोस्ट, सीमावर्ता बैरियर व क्यू0आर0टी0 तैनात करते हुए सघन पेट्रोलिंग/चेकिंग की व्यवस्था करायी जाये।
- अवैध शराब तस्करी की घटनाओं में प्रायः पंजाब एवं हरियाणा प्रान्त से ट्रकों में शराब लोडकर उत्तर पूर्व के प्रान्तों यथा नागालैण्ड एवं अरूणाचल प्रदेश का परमिट बनाकर संगठित गैंगों द्वारा परिसंचरण कराया जाता है। बड़े ट्रकों/वाहनों में कैविटी बनाकर उसमें शराब या मादक पदार्थ रखकर ऊपर कुछ अन्य वस्तु यथा फल, सब्जी या राशन आदि लोडकर शराब तस्करी की जाती है। इसके दृष्टिगत वाहनों की चेकिंग अत्यन्त सतर्कतापूर्वक करायी जाये।
- मादक पदार्थो की बरामदगी के प्रकरण में अभियुक्तों की जामा तलाशी के सम्बन्ध में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 (NDPS ACT 1985) की धारा-50 के प्राविधानों का समुचित पालन किया जाये। मादक पदार्थो की बरामदगी, गिरफ्तारी तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान किसी भी विधिक उपबन्ध का उल्लंघन न होने पाये। इस हेतु समस्त जनपदों मे नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित कराया जाये, जिसमें विधि विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया जाये।

- अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा-272 का भी प्रयोग किया जाये, जिससे ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की जमानत शीघ्रता से न हो सके। अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये वाहनों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा-72 एवं धारा-73 के अनुसार वाहन सीज करने की कार्यवाही की जाये।
- उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम-2017 में विभिन्न धाराओं में किये गये संशोधन के साथ-साथ धारा-60(क) की वृद्धि की गयी है जिसके अर्न्तगत अवैध जहरीली शराब के सेवन से मौत होने या स्थायी अपंगता आदि पर जहरीली शराब बनाने और बेचने वाले दोनो को मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास अथवा (दस लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु नियमानुसार इस प्रावधान के संशोधित धाराओं में कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
- अवैध शराब/मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों से राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गहन पूछताछ कर विस्तृत पूछताछ आख्या तथा डोजियर तैयार कराया जाये। अवैध तस्करी में संलिप्त गैंग के फाइनेन्सर, कैरियर, बैंक एकाउन्ट, भंडारण, ट्रान्सपोर्ट, प्रयोगकर्ता आदि के सम्बन्ध में क्रमबद्ध सूचनायें संकलित की जाये। तस्करी के प्रत्यके चरण में सम्मिलित व्यक्तियों/वाहनों को चिन्हित कर प्रभावी विधि सम्मत कार्यवाही की जाये।
- अवैध शराब, जहरीली शराब तथा मादक पदार्थ की घटनाओं में पंजीकृत अभियोगों की नियमित गहन समीक्षा की जाये। विगत 10 वर्ष के अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तों का डेटाबेस तैयार कर उनकी निगरानी की जाये। ऐसे अभियुक्तों जिनके तस्करी में सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो, के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। इस प्रकार तस्करी की घटनाओं में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों की नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खुलवाकर प्रभावी निगरानी की जाये। तस्करी की इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का गैंग पंजीकृत कराया जाये।
- ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम/एन0डी0पी0एस0 अधि0 आदि के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), गैगस्टर अधिनियम के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही की जाये। तस्करी के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति को चिहिन्त कर गैगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अर्न्तगत जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये।
- इससे सम्बन्धित समस्त पंजीकृत अभियोग की उच्चस्तरीय समीक्षा होनी चाहिये। इनके विवेचक तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों की समुचित ब्रीफिंग की जाये जिससे विवेचक व साक्ष्य संकलन का स्तर उत्कृष्ट हो सके। न्यायालय में लम्बित अभियोगों की प्रभावी पैरवी कराते हुये संलिप्त अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु प्रयास किया जाये।
- आबकारी विभाग, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो(एन.सी.बी.), अभियोजन तथा स्थानीय प्रशासन/मजिस्ट्रेट के साथ उच्चस्तरीय समन्वय स्थापित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित गोष्ठी की जाये। मादक पदार्थ, अवैध शराब की तस्करी रोकने से सम्बन्धित समस्त विभाग को अपने दायित्व/भूमिका ज्ञात होनी चाहिए जिससे इसके विरूद्ध कार्यवाही में किसी प्रकार का भ्रम न हो।
- जनपदों में समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक, बीट के आरक्षी तथा यू0पी0-112 पर नियुक्त कर्मियों को तस्करी के उक्त अपराधों को रोकने हेतु संवेदनशील व दक्ष बनाने हेतु नियमित रूप से ब्रीफ्रिंग की जाये।
- प्रदेश के समस्त जोन, परिक्षेत्र, कमिश्नरेट तथा जनपदों में इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आकस्मिक चेकिंग का रोस्टर बनाया जाये। क्षेत्र बदल कर आकस्मिक रूप से क्रास चेकिंग कराकर इसकी आख्या प्राप्त की जाये।

- मादक पदार्थो, अवैध शराब तथा जहरीली शराब के कारोबार, दुर्व्यसन तथा तस्करी से सम्बन्धित उक्त घटनाओं में यदि किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका या संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। सीमावर्ती क्षेत्रों में लम्बे समय से नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में विधिवत् समीक्षा कर ली जाये।

अतः अवैध शराब, जहरीली शराब तथा मादक पदार्थ के दुर्व्यसन, कारोबार व तस्करी की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्परतापूर्वक अनुपालन अपेक्षित है। नशे के अवैध कारोबार के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु प्रदेश के समस्त जोन, रेंज, कमिश्नरेट एवं जनपद की भौगोलिक, सामाजिक एवं अपराधिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रभावी कार्ययोजना तैयार कराकर संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध कठोर विधिसम्मत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

25/8/2022

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ
3-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
4-अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
5-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6-पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
7-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।